राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2125/2010/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, घट प्रथम, अलवर .....अपीलार्थी

बनाम्

मैसर्स भगवती कृपा पेपर मिल्स प्रा0लि0, ...प्रत्यर्थी
ए–28, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, कालाडेरा, जयपुर

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह, ...अपीलार्थी की ओर से
उप राजकीय अभिभाषक
श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 02.04.2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी–विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 67/अपील्स–IV/07–08/सी में पारित आदेश दिनांक 04.03.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट प्रथम, अलवर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत पारित आदेश दिनांक 28.07.2007 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति राशि रूपये 50,676/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 25.07.2007 को वाहन संख्या RJ/02-G/1899 को शाहजहांपुर–बावल मार्ग पर चैक किया गया। वक्त चैकिंग वाहन में परिवहनित माल क्राफ्ट पेपर के समर्थन में माल प्रभारी द्वारा निम्न दस्तावेज पेश किये :–

    1. शिव शक्ति रोड कैरियर्स, जयपुर की जी.आर.नं0 3391 दिनांक 25.07.2007 जिसमें माल का गमन कालाडेरा से बहादुरगढ़ दर्शाया है;
    2. मैसर्स भगवती कृपा पेपर मिल्स प्रा.लि. कालाडेरा जयपुर की पैकिंग स्लिप नं0 343 दिनांक 25.07.2007;
    3. मैसर्स भगवती कृपा पेपर मिल्स प्रा.लि. कालाडेरा जयपुर द्वारा मैसर्स कागज प्रिण्ट एन पैक इण्डिया, 2031 एमआईई बहादुरगढ़ (हरियाणा) को जारी वैट इनवाईस संख्या 343 दिनांक 25.07.2007;
    4. यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स क.लि. कालाडेरा, जयपुर की Insurance policy.

3. माल प्रभारी ने परिवहनित माल मैसर्स कागज प्रिण्ट एन पैक इण्डिया प्रा.लि., नीमराना के यहां अनलोड होना जाहिर किया जिसके समर्थन में माल प्रभारी द्वारा उक्त फर्म का पता लिखा लिफाफा पेश किया जबकि माल प्रभारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में माल का परिवहन अन्तर्राज्यीय विक्रय के रूप में बहादुरगढ़ किया जा रहा था। वस्तुतः माल

लगातार.....2

का परिगमन कालाडेरा से नीमराना के लिये जाना पाया गया अतः करापवंचन की मंशा पाये जाने व गलत एवं कूटरचित दस्तावेजों से माल का परिवहन पाये जाने पर सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन होने से धारा 76(6) के तहत नोटिस जारी किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत प्रत्युत्तर को अमान्य करते हुए प्रकरण में करापवंचन का दोषी मनोभाव मानते हुए तथा 76(2) का उल्लंघन मानकर परिवहनित माल क्राफ्ट पेपर कीमतन रूपये 1,68,919/– पर धारा 76(6) के अंतर्गत 30 प्रतिशत शास्ति रूपये 50,676/– आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे अपीलीय अधिकारी ने स्वीकार करते हुये आरोपित मांग राशि को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि सशक्त अधिकारी ने शास्ति आरोपण से पूर्व माल के क्रेता–विक्रेता से कोई जांच पडताल नहीं की गयी एवं सम्पूर्ण कार्यवाही संदेह के आधार पर की गयी है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रेषिति व्यवहारी मैसर्स कागज प्रिन्ट एन पैक (इंडिया) प्रा0 लि0 बहादुरगढ़ की नीमराणा में भी ब्रांच है तथा परिवहनित माल उस ब्रांच में जॉब वर्क हेतु जा रहा था तथा प्रत्यर्थी द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रत्युत्तर पेश करते समय उक्त व्यवहारी का यह प्रमाण पत्र भी साथ में प्रस्तुत कर दिया था कि उसके द्वारा यह माल ''सी'' फॉर्म के समर्थन में 3 प्रतिशत सीएसटी चुकाकर खरीदा गया था एवं कि प्रेषक को उसके द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि यह माल नीमराणा (राज.) स्थित फर्म मैसर्स कागज प्रिन्ट एन पैक (इंडिया) प्रा0 लि0, 9B & C RIICO Indl. Area, Neemrana के यहां डिलीवर कर दिया जाये। यद्यपि उक्त प्रमाण पत्र प्रत्यर्थी द्वारा अपने प्रत्युत्तर के साथ सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था, परन्तु अधिकारी द्वारा इस पर विचार किये बिना ही शास्ति का आरोपण कर दिया जो कि अविधिक है। अतः उन्होंने सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अविधिक बताते हुए तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के मध्येनजर अपीलीय आदेश को विधिसम्मत बताया तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने निवेदन किया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अभियोग पत्रावली पर उपलब्ध विभिन्न दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि परिवहनित माल की बिल्टी संख्या 3391 दिनांक 25.07.2007 मूलतः कालाडेरा से नीमराणा (राज.) की बनाई गई थी परन्तु बाद में इसे काटकर गन्तव्य स्थान का नाम नीमराणा की जगह बहादुरगढ लिखा गया है। इसी प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा

लगातार.....3

जारी बिल संख्या 343 दिनांक 25.07.2007 का अवलोकन करने पर पाया कि यह मैसर्स कागज प्रिन्ट एन पैक (इंडिया) प्रा0 लि0, बहादुरगढ (हरियाणा) टिन 06621701285 को जारी किया गया है तथा इसमें भी डिलीवरी स्थल नीमराणा होने का कोई उल्लेख नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध बिल की इस कार्बन कॉपी के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि इसके VAT/CST तथा GRAND TOTAL के कॉलम्स में whitener लगाकर ओवर राइटिंग करते हुए आंकड़ों में फेरबदल किया गया है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रकट होता है कि टैक्स के कॉलम में पहले सीएसटी को काटकर वैट 4% लगाया गया है परन्तु बाद में whitener लगाकर इसके स्थान पर 3% करते हुए Percentage, Amount, Grand Total तथा Amount (in words) चारों स्थानों पर ओवर राइटिंग की गई है। यदि डिलीवरी नीमराणा में दी जानी थी तो इसका उल्लेख प्रत्यर्थी द्वारा जारी इनवॉइस में किया जाना चाहिये था अथवा प्रेषिति द्वारा इस आशय की घोषणा माल के इन दस्तावेजों के साथ में होनी चाहिये थी।

7. अतः स्पष्ट है कि बिल्टी में पूर्व में लिखे हुए गन्तव्य नीमराणा को काटकर उसके स्थान पर बहादुरगढ़ लिखना, बिल में VAT/CST संबंधी कॉलम में कर दर तथा कर राशि के आंकड़ों में ओवर राइटिंग कर परिवर्तन करने आदि तथ्यों से यह प्रकट होता है कि प्रस्तुत दस्तावेज कूटरचित (forged) हैं जिसका प्राथमिक उद्देश्य करवंचना का रहा है, अतः सक्षम अधिकारी द्वारा जो शास्ति धारा 76(6) के अंतर्गत आरोपित की गई है वह प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत है। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों की अनदेखी कर शास्ति अपास्त करने में विधिक त्रुटि की गई है अतः अपीलीय आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

8. उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलीय आदेश अपास्त करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य